रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D (D.M.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 1987/आषाढ़ 26, 1909
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 1987/ASADHA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1987

अधिसूचना

सं. 184/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 660(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के शीर्ष सं. 37.06 के अंतर्गत आने वाली और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मुम्बई के फिल्म उत्सव निदेशालय द्वारा, भारत सरकार

के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन किसी विदेश में संचालित फिल्म उत्सव में अथवा भारत के उत्सव में या किसी विदेश में आयोजित भारत की अभिव्यक्ति के प्रदर्शन के लिए क्रय किए गए चलचित्र फिल्मों के प्रिन्टों को, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु उक्त राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस प्रकार क्रय की गई फिल्मों का निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकेगा कि वह ऐसा विक्रय या व्ययन के एक मास के भीतर,—

(क) समुचित अधिकारी को ऐसे विक्रय या व्ययन की परिस्थितियों के बारे में संसूचित करेगा; और

(ख) ऐसे शुल्क का संदाय करेगा जो इसमें अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय होता :

परन्तु यह और कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त निगम विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्याप्त कारणवश ऐसी जानकारी नहीं दे सका था या उक्त उत्पाद-शुल्क का संदाय नहीं कर सका था तो वह एक मास के विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् उक्त संसूचना ग्रहण कर सकेगा ।

[फा. सं. 354/58/87-टी आर यू],

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th July, 1987

NOTIFICATION

No. 184|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prints of cinematograph films, falling under heading No. 37.06 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and purchased by the Directorate of Film Festival of the National Film Development Corporation, Bombay, on behalf of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, for exhibition in film festival conducted in any foreign country under the Cultural Exchange Programme, or in Festival of India or Manifestation of India held in any foreign country, from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule :

Provided that the said National Film Development Corporation may sell or otherwise dispose of films so purchased, subject to the condition that it shall, within a month of such sale or disposal,—

(a) intimate to the proper officer the circumstances leading to such sale or disposal; and

(b) pay the duty which would have been levied thereon but for the exemption contained herein :

Provided further that the proper officer may accept the said intimation after the expiry of the specified time of one month if he is satisfied that the said Corporation was prevented by sufficient cause from furnishing such information or from payment of the said duty of excise within the specified time.

[F. No. 354|58|87-TRU]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987